भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1451
28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा
1451. श्रीमती महुआ मोइत्राः
श्री मलविंदर सिंह कंगः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कवर किए गए किसानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान एकत्र किए गए प्रीमियम, निपटाए गए और लंबित पड़े हुए बीमा दावों का ब्यौरा क्या है;
(घ) दावों के निपटान में देरी, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं और क्या सरकार का पंजाब के लिए योजना में किसी बदलाव का विचार है; और
(ङ) सरकार द्वारा दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी हां, योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा की जाती है। विभाग राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, सूचीबद्ध बीमा कंपनियों, बैंकों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियाँ (SLBC) और महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC) सहित सभी कार्यान्वयनकारी स्टेकहोल्डर्स के साथ योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। PMFBY राज्यों के लिए स्वैच्छिक है और पंजाब सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने का विकल्प नहीं चुना है।

(ख) एवं (ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के नामांकित किसान आवेदनों, किसानों से एकत्र किए गए प्रीमियम, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): इस योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में दी गई समय-सीमा के अनुसार, बीमा कंपनियों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर दावों की गणना और बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर दावों का निपटान करना होता है। तथापि, कुछ दावे :(क) राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के हिस्से के भुगतान में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/ देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का भुगतान न होना/देरी से भुगतान होना या कम भुगतान होना (ग) उपज आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, असत्यापित बैंक खाते आदि कारणों से लंबित रह जाते हैं । इन मुद्दों के समाधान के बाद लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

पंजाब में यह योजना कार्यान्वित नहीं है। पंजाब राज्य के लिए योजना में किसी विशिष्ट परिवर्तन का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(ड़): PMFBY राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ किसानों के लिए एक मांग आधारित और स्वैच्छिक योजना है। दावों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने और योजना के तहत बीमा कवरेज में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. :योजना के अंतर्गत दावों के समय पर निपटान के लिए:

- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) सब्सिडी भुगतान, सूचना प्रसार, किसानों के ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं के वितरण, व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण को अपलोड करने/प्राप्त करने और दावे की राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में अंतरित करने के लिए डेटा का एकल स्रोत है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक विशेष मॉड्यूल को कार्यान्वित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान हो सके।
- खरीफ 2024 से, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वतः ही गणना करके NCIP के माध्यम से लगाया जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में दिए जाने वाले हिस्से को राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले हिस्से से अलग कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- खरीफ 2025 से राज्य सरकार द्वारा राज्य के सब्सिडी शेयर को जारी करने में देरी होने पर 12% का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
- वित्तीय अनुशासन लाने के लिए, योजना के प्रावधानों के अनुसार खरीफ 2025 सीजन से संबंधित राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से अपने प्रीमियम हिस्से को जमा करने के लिए एस्क्रो खाता (ESCROW Account) खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) डेटा को **CCE-Agri App** के माध्यम से एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को NCIP के साथ एकीकृत करना और यस-टेक के माध्यम से रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान का उपयोग करने जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार हो सके।
- **फसल नुकसान आकलन ऐप (CLAP)** यह डिजिटल मोबाइल एप्लिकेशन PMFBY के तहत व्यक्तिगत खेतों और भूखंड के लिए स्थानीय आपदाओं/फसलोपरांत होने वाले नुकसान के आकलन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए CLAP का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

(ii) बीमा कवरेज में सुधार लाने के उद्देश्य से:

- **AIDE (मध्यस्थ नामांकन के लिए आवेदन):**खरीफ 2023 में बीमा मध्यस्थों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से किसानों के द्वार पर ही उनका नामांकन कराने के लिए एक स्मार्टफोन ऐप तैयार किया गया और लॉन्च किया गया। यह ऐप किसानों को पूरी तरह से कागज रहित और नकद भुगतान रहित अनुभव प्रदान करता है।
- सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्यों के बीच PMFBY की प्रमुख विशेषताओं को प्रसारित करने के लिए राज्यों, कार्यान्वित बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) के नेटवर्क द्वारा चलाई जा रही जागरूकता गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है।
- इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 के मौसम से एक सुविचारित 'क्रॉप इंश्योरेंस वीक/फसल बीमा सप्ताह' जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य योजना के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्टेकहोल्डर्स को जागरूक करना और किसानों के समग्र नामांकन में वृद्धि करना है जिनमें विशेष रूप से चिन्हित आकांक्षी/ जनजातीय जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही, योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को जानकारी प्रदान करने के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाओं' का आयोजन भी किया जा रहा है।
- सरकार ने 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' नाम से देशव्यापी फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण का एक बड़ा अभियान भी चलाया था। ग्राम पंचायत/गांव स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से PMFBY के तहत नामांकित किसानों को फसल बीमा पॉलिसी की रसीदों की हार्ड कॉपी वितरित की जाती हैं।
- इसके अतिरिक्त, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अन्य गतिविधियों में प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से योजना की मुख्य विशेषताओं और लाभों का प्रचार-प्रसार, क्षेत्रीय/ स्थानीय चैनलों पर ऑडियो-विजुअल स्पॉट का प्रसारण, स्थानीय भाषाओं में सूचना एवं संचार शिक्षा सामग्री का वितरण, किसान/राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से SMS का प्रसार और किसानों, पंचायत सदस्यों और अन्य प्रमुख स्टेकहॉल्डर्स सहित सभी स्टेकहॉल्डर्स की ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक राज्यवार कवरेज और दावों की रिपोर्ट
(दिनांक 24.07.2026 तक)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	नामांकित आवेदन	किसान से प्राप्त प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे
	(लाख में)	(रुपये करोड़ में)		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.004	0.008	0.051	-
आंध्र प्रदेश	244.89	146.85	362.85	2,752.94
असम	34.02	24.60	189.95	4.02
छत्तीसगढ़	244.60	674.37	1,086.63	58.06
गोवा	0.012	0.006	0.009	0.002
हरियाणा	462.83	696.84	1,594.54	87.99
हिमाचल प्रदेश	15.33	104.41	233.37	17.69
जम्मू और कश्मीर	7.94	47.07	113.33	10.03
झारखंड	50.11	0.50	19.39	33.56
कर्नाटक	104.12	1,274.63	7,643.35	111.33
केरल	6.28	39.81	179.81	1.02
मध्य प्रदेश	554.86	1,985.11	3,620.11	123.47
महाराष्ट्र	572.56	1,093.79	17,382.14	212.33
मणिपुर	0.15	1.51	3.68	1.21
मेघालय	1.59	0.03	38.60	0.32
मिजोरम	0.01	0.02	-	-
ओडिशा	419.81	32.55	419.54	21.13
पुदुचेरी	1.14	0.01	14.32	1.20
राजस्थान	1,146.29	2,987.99	8,697.19	867.53
सिक्किम	0.07	0.21	0.32	0.03
तमिलनाडु	164.12	477.37	1,876.23	14.29
त्रिपुरा	4.95	1.56	2.48	0.09
उत्तर प्रदेश	307.55	842.98	1,754.64	70.02
उत्तराखंड	8.19	230.12	769.57	10.81
कुल	**4,351.44**	**10,662.32**	**46,002.20**	**4,399.06**
